Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 182-2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2016 (KARTIKA 18, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

निर्देश

दिनांक 9 नबम्वर, 2016

संख्या 19/21/2016-**5P.**—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करते है, अर्थात् :—

1. हरियाणा का प्रत्येक नाम निर्दिष्ट उपभोक्ता, केन्द्र सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्देशित का. आ. 1378 (अ) दिनांक 27 मई, 2014 के निर्देश अनुसार, जो समय–समय पर यथा संशोधित हो:

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा संपरीक्षा करने के लिए रीति और समय अंतराल) विनियम, 2010 के अनुसार किसी प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक द्वारा ऊर्जा संपरीक्षा कराएगा, और ;

(ख) संबंधित अभिहित अभिकरण को उपभोग की गई ऊर्जा की जानकारी के ब्यौरे और प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक की सिफारिश पर की गई कार्रवाईयों के ब्यौरे ऊर्जा संरक्षण (प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक की सिफारिश पर खपत की गई ऊर्जा और की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप और रीति तथा समय) नियम, 2008 के अनुसार जमा करेगा।

2. हरियाणा में स्थित ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं सहित, सभी मौजूदा और नए उपभोक्ता जिनका कनेक्टेड लोड एक मेगावाट या ऊपर हो, उन्हें अपनी पहली विस्तृत ऊर्जा संपरीक्षा अधिसूचना की तारीख से अठारह महीने के भीतर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक फर्म/ऊर्जा सर्वस कंपनियों से करवानी अनिवार्य होगी।इसके बाद इन उपभोक्ताओं को दो साल के भीतर ऊर्जा संपरीक्षा रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा को ऊर्जा संपरीक्षा आयोजित करने की दो वर्ष की अवधि के बाद तीन महीने के भीतर ऊर्जा संपरीक्षा की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई प्रस्तुत करनी होंगी।

परंतु हरियाणा में स्थित दस एमवीए या अधिक के अनुबंध मांग वाला हर उपभोक्ता ऊर्जा संपरीक्षा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा संपरीक्षा करने के लिए रीति और समय अंतराल) विनियम, 2010 के अनुसार किसी प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक द्वारा

कराएगा । इसके बाद इन उपभोक्ताओं को दो साल के भीतर ऊर्जा संपरीक्षा रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग , हरियाणा को ऊर्जा संपरीक्षा आयोजित करने की दो वर्ष की अवधि के बाद तीन महीने के भीतर ऊर्जा संपरीक्षा की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई प्रस्तुत करनी होंगी ।

परंतु ऊपर की श्रेणियों के उपभोक्ता ऊर्जा संपरीक्षा रिपोर्ट और ऊर्जा संपरीक्षा रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निवेश के विवरण सहित कार्य योजना की एक प्रति ऊर्जा संपरीक्षा करवाने के तीन महीने के भीतर नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग , हरियाणा को प्रस्तुत करेंगे।

3. सभी वाणिज्यिक मॉल, प्लाजा, अस्पतालों, संस्थागत भवनों, ऊंची इमारतों, नगर निगम भवनों सहित सरकारी/बोर्ड/निगम के स्वामित्व वाले भवनों, जल आपूर्ति विभाग के भवनों जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट और अधिकया अनुबंध मांग 120 केवीए और अधिक है, उन्हें अपनी पहली विस्तृत ऊर्जा संपरीक्षा अधिसूचना की तारीख से अठार हम हीने के भीतर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) प्रमाणित ऊर्जा संपरीक्षक (जिनके पास प्रासंगिक क्षेत्र में कम से कम पांच साल का कार्य अनुभव और माप और सत्यापन के लिए आवश्यक उपकरण हो) /फर्म /सूचीबद्ध ऊर्जा सर्वस कंपनियों से करवानी अनिवार्य होगी। इसके बाद इन उपभोक्ताओं को दो साल के भीतर ऊर्जा संपरीक्षा रिपोर्ट की सिफारिशो के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा को ऊर्जा संपरीक्षा आयोजित करने की दो वर्ष की अवधि के बाद तीन महीने के भीतर ऊर्जा संपरीक्षा की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई प्रस्तुत करनी होंगी ।

परंतु उपरोक्त श्रेणियों के उपभोक्ता ऊर्जा संपरीक्षा रिपोर्ट और ऊर्जा संपरीक्षा रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निवेश के विवरण सहित कार्य योजना की एक प्रति ऊर्जा संपरीक्षा आयोजन के तीन महीने के भीतर नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग , हरियाणा को प्रस्तुत करेंगे।

4. भारत सरकार/राज्य सरकार प्रोत्साहन /सब्सिडी, यदि कोई हो, निधियों की उपलब्धता अधीन, रुचि लेने वाले भवन /इकाई के मालिकों को प्रचलित योजना /दिशा–निर्देशों के अनुसार, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग , हरियाणा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

टिप्पण: इन निर्देशों का पालन न करने के मामले में, अधिसूचना जारी होने की तिथि से हर तीन साल छह महीने की अवधि समाप्ति पर श्रेणी (2) और (3) से नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा राज्य, सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, लगा और वसूल सकता है और ऊर्जा संपरीक्षा प्रत्येक तीन साल और छह महीने की अवधि के बाद आयोजित करनी होगी। श्रेणी (1) के तहत नाम निर्दिष्ट उपभोक्ताओं से जुर्माना ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के प्रासंगिक दिशा निर्देशों के अनुसार वसूला जाएगा।

यह निर्देश अपने जारी होने की तिथि से लागू हो जाएगे।

अंकुर गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा
विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Directions

The 9th November, 2016

No. 19/21/2016-5P.— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Governor of Haryana issues the following directions namely:-

1. Every Designated Consumer of Haryana as directed by Central Government *vide* notification No. S.O. 1378(E) dated 27 May, 2014, as amended from time to time shall:

(a) get energy audit conducted by an accredited energy auditor, in accordance with the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals of Time for Conduct of Energy Audit) Regulations, 2010, and;

(b) furnish to the concerned designated agency, details of information on energy consumed and details of the action taken on the recommendations of accredited energy auditor, in accordance with the Energy Conservation (Form and Manner and Time for Furnishing Information With Regard to Energy Consumed and Action Taken on Recommendations of Accredited Energy Auditor) Rules, 2008.

2. All existing and new consumer of power located in Haryana having Connected Load of one Mega Watt (MW) or above including open access consumers shall mandatory get their first detailed energy audit conducted by Bureau of Energy Efficiency (BEE) accredited energy auditor firms / Energy Service Companies (hereafter referred as ESCOs) within Eighteen months from the date of its notification. Thereafter, these Consumers, within two years, shall take necessary action for implementation of recommendation of energy audit report and shall furnish to the New and Renewable Energy Department, Haryana, details of the action taken on the recommendations of energy audit report within three months after a lapse period of two years from conducting the energy audit:

Provided that every consumer of power located in Haryana having contract demand of 10 MVA or above shall get energy audit conducted by an accredited energy auditor, in accordance with the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals of Time for Conduct of Energy Audit) Regulations, 2010. Thereafter, these Consumers, within two years, shall take necessary action for implementation of recommendation of energy audit report and shall furnish to the New and Renewable Energy Department, Haryana, details of the action taken on the recommendations of energy audit report within three months after a lapse period of two years from conducting the energy audit:

Provided further that above categories consumers shall submit a copy of energy audit report and action plan including details of investment required for implementation of recommendation of energy audit report to New and Renewable Energy Department, Haryana within three months from conducting the energy audit.

3. All Commercial Malls, Plazas, Hospitals, Institutional Buildings, High Rise Buildings, Govt./Board/ Corporation owned buildings including municipal buildings, water supply department buildings having connected load of 100 kW and above or contract demand of 120 kVA and above, shall mandatory get their first detailed energy audit by Bureau of Energy Efficiency (BEE) certified energy auditor(minimum five year work experience in relevant sector and shall have instruments required for measurement and verification) /Firm/empanelled ESCO within eighteen months from the date of notification. Thereafter, these Consumers, within two years, shall take necessary action for implementation of recommendation of energy audit report and shall furnish to the New and Renewable Energy Department, Haryana, details of the action taken on the recommendations of energy audit report within three months after a lapse period of two years from conducting the energy audit:

Provided that above categories of consumers shall submit a copy of energy audit report and action plan including details of investment required for implementation of recommendation of energy audit report to New and Renewable Energy Department, Haryana within three months from conducting the energy audit.

4. The Government of India / State Government incentives / subsidy, if any, shall be provided to the interested Building / Unit owners as per prevalent scheme/ guidelines through New and Renewable Energy Department, Haryana, subject to availability of funds.

Note: In case of non-compliance of these directions, the New and Renewable Energy Department, Haryana may impose and recover penalty as fixed by State Government for categories (2) and (3) on expiry of three year and six months periodically, from the date of issue of notification asper the procedure specified in this regard by State Government and energy audit shall be conducted after each three year and six month cycle. For Designated Consumers under category (1), penalty shall be recovered as per relevant Bureau of Energy Efficiency (BEE) guidelines.

These directions shall come into force from the date of its issue.

ANKUR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
New and Renewable Energy Department.

54771—C.S.—H.G.P., Chd.